महत्वपूर्ण
E-mail
द्वितीय स्मार

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्र सं0–10/महा0(विविध)05–16/2016:– 4945 रॉंची, दिनांक:– 06/09/19

प्रेषक:– राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

विषय:– अस्थायी अग्रिम के समायोजन हेतु Notional allotment उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग:– विभगीय पत्रांक–3676 दिनांक–11.07.2019 एवं पत्रांक–4053 दिनांक–25.07.2019।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अस्थायी अग्रिम के समायोजन के लिये Notional allotment उपलब्ध कराने हेतु संचिका योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, रॉंची को पृष्ठांकित की गयी थी। मामले में योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दु पर विभाग को आश्वस्त करने का अनुरोध किया गया है:–

"यह कौन सी राशि है, क्या यह राशि विभाग की है और इसे राज्यकोष में जमा करा दिया गया है या यह राशि अब तक पदाधिकारियों के पास है। प्रशासी विभाग जॉंच कर वस्तुस्थिति से वित्त विभाग को अवगत कराते हुए समायोजन का प्रस्ताव दें कि ऐसा करने से राज्य को वित्तीय हानि नहीं होगी।"

उक्त के आलोक में निम्नलिखित कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, रॉंची के पृच्छा के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है:–

1. कार्यपालक अभियंता, पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी प्रमंडल, पुनासी शिविर–देवघर।
2. कार्यपालक अभियंता, यात्रिक प्रमंडल, ईचा–चालियामा।
3. कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं0–2, देवघर।

शेष प्रमंडलों से याचित प्रतिवेदन अब तक अप्रप्त है।

कृपया उक्त के संबंध में अपना प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2019 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, रॉंची मामले में Notional allotment हेतु आश्वस्त किया जा सके ।

कृपया इसे महत्त्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन
05/09/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)।
5.9.19